

न्यायालय
11/11/2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
युक्ती पती परसायण पार काशी	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	260 /2021	GCMS No. 2021/1072
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
1.12.2021	<p>वादी श्री युक्ती पती परसायण पार काशी पुत्र पदमराज द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत नारायणपुर में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-2078 ग्राम काशी पटवार मण्डल नारायणपुर के खाता नम्बर 38 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि युक्ती पती दीयपण दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम युक्ती पती परसायण है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 921248072503 मतदाता पहचान 87/03/198/579300 अन्य दस्तावेज पार डीकाका का नं. 4706642003 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी नारायणपुर भू.अ.कि.सप एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल करार हो।</p>	

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

1078-1080



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

